रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2017/माघ 13, 1938
No. 306] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017/MAGHA 13, 1938

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

का. आ. 339(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 78 (अ) के तहत 49वें अपर सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु सिटी के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार, अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए संपूर्ण कर्नाटक राज्य था;

और जबकि, श्री मुरलीधर पाई बी, 38वें अपर सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु सिटी, जिन्हें दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2837 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2837 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री महावारकर गुलजारीलाल, 49वें अपर सिटी सिविल एवं सत्र

न्यायाधीश, बेंगलुरु सिटी को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2017

S.O. 339(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 78 (E) dated the 31st December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th January, 2013, notified the Court of XLIX Additional City Civil & Sessions Judge, Bengaluru City as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Karnataka for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Muralidhar Pai B., XXXVIII Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 2837 (E) dated the 15th October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th October, 2015, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2837 (E) dated the 15th October, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Karnataka, hereby appoints Shri Mahavarkar Gulzarlal, XLIX Addl. City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.05 03:05:47 +05'30'